| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3 |
|---|---|---|
| 25/9/18 | (see below) | |

## आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–29.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी निरंजन सिंह, पिता–बिरबल सिंह, ग्राम–मोहनपुर, पो0–महिसौता, प्रखंड–शंभुगंज, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 523110104041802526/2A वर्ष–2018 निरंजन सिंह बनाम् प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंभुगंज है।

परिवाद के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–210 दिनांक–24.07.18 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, बांका के पत्रांक–1443 दिनांक–17.09.18 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित है।

अपीलार्थी का कहना है कि पूर्व में विद्यालय का नाम सूर्या मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर था जिसे सूर्या नाम हटाकर मध्य विद्यालय, सेवाग्राम, मोहनपुर कर दिया गया है। फलस्वरूप विद्यालय का नाम पूर्व की भांति सूर्या मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर जोड़ने का आदेश दिया जाय। साथ ही यह भी कहा गया कि सूर्या मध्य विद्यालय में अंचल अधिकारी द्वारा 10 एकड़ 25 डी0 जमीन अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया है उसे मांपी कर चिन्हित कराने का अनुरोध किया गया।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंभुगंज द्वारा प्रतिवेदन में संलग्न कागजातों के अनुसार सूर्या मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर नाम का कोई विद्यालय वर्त्तमान में शंभुगंज प्रखंड अन्तर्गत संचालित नहीं है। मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर नाम का एक विद्यालय गैर मजरूआ आम भूमि पर संचालित है जिसका थाना नं0–196, खाता–177, खेसरा–142 रकवा 1.58 डी0 है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बांका ने अपने प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका द्वारा अपील खारिज होने के उपरांत श्री सिंह द्वारा पुनः नये मामले को जोड़ते हुए द्वितीय अपील दायर किया गया है। महालेखाकार के अभिलेख में उक्त विद्यालय का नाम स्थापना काल से ही मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर है तथा विद्यालय के नाम से पूर्व सेवा शब्द अंकित नहीं है। विद्यालय के बहुतायत अभिलेख में विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर ही है न कि सूर्या मध्य विद्यालय सेवाग्राम, मोहनपुर।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी का दावा सहीं ज्ञात नहीं होता है। द्वितीय अपील अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

जिला पदाधिकारी 25/9
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।